भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 3346 #

गुरूवार, 21 अगस्त, 2025/30 श्रावण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन स्थलों पर अत्यधिक भीड़

3346 # श्री नीरज डांगी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में अत्यधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर अत्यधिक भीड़ से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान ऐसे पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की दर्ज संख्या व हुए हादसों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक या निजी संगठनों द्वारा खराब प्रबंधन, पर्यटन स्थलों पर भीड़भाड़ के लिए जिम्मेदार हैं; और

(घ) यदि हां, तो पर्यटन स्थलों के प्रबंधन के लिए कड़े नियम बनाने के संबंध में सरकार की क्या नीति हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटन स्थलों और गंतव्य प्रबंधन सहित उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक स्थलों पर भीड़भाड़ के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं कराया है। हालाँकि, मंत्रालय अपनी 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)' योजना और स्वदेश दर्शन की 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास' नामक एक उप-योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को स्थायी पर्यटन स्थलों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एसडी 2.0 योजना विभिन्न परियोजनाओं में सतत और उत्तरदायी पर्यटन प्रथाओं के कार्यान्वयन पर बल देती है और पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिरता और आर्थिक स्थिरता सहित सतत पर्यटन के सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। एसडी 2.0 और सीबीडीडी योजनाओं के तहत स्वीकृत कई परियोजनाओं में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने वाले घटक शामिल हैं, जिनमें सीसीटीवी, पाथवे, प्रतीक्षालय, इको-स्टे, बायो-टॉयलेट, अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण, पर्यावरण-अनुकूल परिवहन, सौर प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग आदि जैसे वहनीय क्षमता प्रबंधन शामिल हैं।

भारत सरकार ने 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई)' के अंतर्गत देश में 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनके प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए थे। इस योजना के अंतर्गत, मंत्रालय ने राज्य सरकारों को डीपीआर के भाग के रूप में भौतिक वहन क्षमता और सीमित कारकों का आकलन करने के बाद अंतिम वहन क्षमता की गणना करने की सलाह दी।

भारत को स्थायी और उत्तरदायी पर्यटन के लिए एक पसंदीदा वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने स्थायी पर्यटन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यनीति भी तैयार की है।

मंत्रालय ने 'ट्रैवल फॉर लाइफ' कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पर्यटकों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को स्थायी पर्यटन संबंधी कार्यपद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय गंतव्यों पर होने वाली दुर्घटनाओं के आँकड़े संकलित नहीं करता है। हालाँकि, पिछले दो वर्षों में संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में घरेलू और विदेशी पर्यटकों की यात्राओं (डीटीवी और एफटीवी) का विवरण **अनुबंध** में है।

*****

अनुबंध

श्री नीरज डांगी द्वारा पर्यटन स्थलों पर अत्यधिक भीड़ के संबंध में दिनांक 21.08.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के लिखित प्रश्न संख्या 3346 # के भाग (क) से (घ) के उत्तर में

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यवार घरेलू और विदेशी पर्यटक दौरे (डीटीवी और एफटीवी):

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**2023**		**2024**	
		डीटीवी	**एफटीवी**	**डीटीवी**	**एफटीवी**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3,23,189	9,025	7,10,397	11,497
2	आंध्र प्रदेश	25,47,06,328	60,426	29,02,66,452	2,62,431
3	अरुणाचल प्रदेश	10,40,601	3,816	8,69,912	4,210
4	असम	76,12,720	23,818	76,08,169	27,170
5	बिहार	8,15,85,701	5,46,576	6,54,63,304	7,36,720
6	चंडीगढ़	3,65,591	31,498	9,98,605	39,058
7	छत्तीसगढ़	2,60,22,069	953	3,14,87,900	3,485
8	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	10,04,327	4,049	13,58,901	2,626
9	दिल्ली	3,94,14,622	18,28,116	4,62,57,000	19,99,410
10	गोवा	81,75,460	4,52,692	99,41,286	4,67,911
11	गुजरात	17,80,66,579	28,06,871	18,40,14,075	22,74,477
12	हरियाणा	20,12,162	1,346	18,92,251	1,265
13	हिमाचल प्रदेश	1,59,42,118	62,806	1,80,41,929	82,765
14	जम्मू और कश्मीर	2,06,79,336	55,337	2,35,24,629	65,452
15	झारखंड	3,57,76,102	1,89,261	5,40,40,789	45,273
16	कर्नाटक	28,41,20,502	4,09,333	30,45,63,569	4,85,204
17	केरल	2,18,71,641	6,49,057	2,22,46,989	7,38,374
18	लक्षद्वीप	45,796	755	67,430	898
19	मध्य प्रदेश	11,19,46,409	1,82,685	13,31,76,410	1,67,535
20	महाराष्ट्र	16,13,59,527	33,87,739	18,93,71,541	37,05,170
21	मणिपुर	57,701	3,668	29,102	2,518
22	मेघालय	13,71,674	19,973	14,02,624	20,023

23	मिजोरम	2,15,230	3,884	5,18,873	5,911
24	नागालैंड	99,720	4,725	1,25,516	5,623
25	ओडिशा	97,25,184	45,173	1,09,98,819	53,392
26	पुदुचेरी	20,92,076	31,214	21,19,792	17,819
27	पंजाब	3,57,07,600	7,41,734	2,77,45,183	5,41,784
28	राजस्थान	17,90,51,925	16,99,869	23,00,84,198	20,72,407
29	सिक्किम	13,21,169	93,908	15,40,421	84,820
30	तमिलनाडु	28,60,11,515	11,74,899	30,68,42,014	11,61,302
31	त्रिपुरा	3,66,104	66,708	6,00,651	1,02,624
32	तेलंगाना	5,84,47,573	1,60,912	8,82,39,675	1,55,313
33	उत्तर प्रदेश	47,85,25,688	16,01,503	64,68,07,146	23,64,996
34	उत्तराखंड	5,94,88,189	1,48,412	5,93,73,869	1,76,408
35	पश्चिम बंगाल	14,56,69,292	27,06,942	18,44,75,527	31,24,462
36	लद्दाख	4,89,059	36,315	3,36,682	39,704
	कुल	**2,51,07,10,479**	**1,92,45,998**	**2,94,71,41,630**	**2,10,50,037**

*****